वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड
कार्यालय- महाप्रबंधक,
पाथाखेडा क्षेत्र, पो0पाथाखेडा
जिला-बैतूल(म0प्र0) पिनकोड-460449
टेलीफोन नं0.07146-271363,271433,
270210 फेक्स नं0 07146-270566

WESTERN COAL FIELDS LIMITED
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
PATHAKHERA AREA PO. PATHAKHERA
DIST. BETUL (M.P.) PIN. CODE – 460449
Tel. N0 07146-271363/271433/270210
FAX. 07146 - 270566

पत्रक्र0 वेकोलि/मप्र./पाथा/सर्वे/ 2015/309 दिनांक 23.12.2015

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
शाहपुर, जिला-बैतूल (म0प्र0)

विषयः-वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र की प्रस्तावित तवा-3, खदान हेतू 101.600हे0 एवं 25.66हे0 वनभूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय बाबत।

संदर्भः कार्या.कलेक्टर/आ.जा.क.बैतूल केपत्र कं.2015/वनअधि0/13/5226बैतूल दि.07.07.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि, ग्राम पंचायत शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम मे प्रस्तावित तवा-3 कोयला खदान प्रारंभ किया जाना है। इस भूमि का भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा कोल बियरिंग एरियाज (एक्वीजिशन एण्ड डेवल्पमेंट) एक्ट 1957 के तहत वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र के पक्ष में नोटीफिकेशन भी हो गया है।

संस्थान द्वारा प्रस्तावित तवा-3,कोयला खदान के लिए व0सं0अधि0 -1980 के तहत दो प्रस्ताव कंमशः101.600हे0 एवं 25.866 हे0 यह दोनो प्रस्ताव वन विभाग बैतूल को प्रेषित किये गये है। प्रस्ताव पर्या0 एवं वन मंत्रालय के अनुमोदनार्थ वनमंडलाधिकारी / मु0व0सं0बैतूल, द्वारा अ0प्र0मु0व0सं0 (भू-प्रबंध) भोपाल की ओर अग्रेषित किया गया था। व0अधि0अधि02006 के अंतर्गत कलेक्टर बैतूल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न न होने के कारण ही प्रस्ताव अ0प्र0मु0 व0सं0 (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा वन मंडलाधिकारी बैतूल को वापस किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतू ग्राम सभा का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है।

पाथाखेडा क्षेत्र की चार खदाने कोयला समाप्ति के कारण बंद हो चुकी है, तथा शेष दो खदाने बंद होने के नजदीक है। म0प्र0शासन राजस्व विभाग बैतुल को वे.को.लि.पाथाखेडा क्षेत्र की कोयला खदानों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगर खदान समय पर नही प्रारंभ होती है,तो खदान के कर्मचारियो के रोजगार के साथ-साथ सारनी पावर प्लांट को भी कोयले की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सहायक आयुक्त अधिवासी विकास बैतूल को पत्र द्वारा त्रुटियो को स्पष्ट करवाने का कष्ट करे, जिससे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलंब ना हो, जिससे वनभूमि के दोनो प्रस्ताव भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा जा सके।

भवदीय
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
पाथाखेडा क्षेत्र

प्रतिलिपिः-1. कलेक्टर महोदय, बैतुल (म0प्र0)।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल (म0प्र0)।
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल।
4. महाप्रबंधक (भू-रा0) वेकोलि मुख्यालय नागपुर।
5. स्टॉफ आफिसर (यो0/परि0)पाथाखेडा क्षेत्र।

2015

O/C Prop 101.60 ha File

कार्यालय जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी

क्र. / ज.पं. / पं.शा. / 2013–14 / 1297 घोड़ाडोंगरी दि0 23.01.2014

प्रति,

सरपंच / सचिव,
ग्राम पंचायत शक्तिगढ

विषय :– ग्राम पंचायत शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम में ग्राम सभा का आयोजन करने बाबत ।

संदर्भ :– कार्यालय कलेक्टर(आजाक), बैतूल का पत्र क्रमांक /व.अधि. /2013/टीएच/ 13/ 1171 बैतूल दिनांक 21.03.2013.

---0000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, ग्राम पंचायत शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम में दिनांक 29.01.2013 को ग्राम आयोजित ग्राम सभा में कलेक्टर महोदय(आदिम जाति कल्याण) बैतूल द्वारा महा प्रबंधक वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र के अधीन खान शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम अंतर्गत स्थित 101.608 एवं 25.866 हेक्टे. वन एवं राजस्व वन क्षेत्र के भूमिगत खनन एवं विस्तारी कार्य हेतु कार्यवाही की जावेगी । दिनांक 29.01.2014 की ग्राम सभा की विधिवत सूचना देवें एवं सदस्यों से वन अधिकार अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों एवं खान के भूमिगत खनन एवं विस्तारीकरण के संबंध में चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी

पृ.क्र. / ज.पं. / पं.शा. / 2013–14 / 1297A घोड़ाडोंगरी दि0 23.01.2014

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय(आदिम जाति कल्याण) बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमि. पाथाखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
5. नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी

APO/PKD
for necessary action
23/01/14

101.608 hect file

Panchayat & Samajik Nay

Anand sbe-101

बैठक कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

कार्यालय ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ विकास खंड घोड़ाडोंगरी तह. घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
03/15	उपस्थित सदस्य संख्या - 82	(1)	WCL के कोयला खदान अधिग्रहण के सम्बंध में।	आज दिनांक 13/03/2015 को समय :- 11:00 बजे से WCL कोयला खदान अधिग्रहण के लिए ग्राम गांधीग्राम के प्रा० शाला भवन गांधीग्राम मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। बैठक में ग्रामवासी एवं प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान SDM जी, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्लाक पंचायत अधिकारी एवं WCL के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक मे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोयला खदान		

अधिग्रहण के सम्बंध मे ग्रामवासीयों से चर्चा की एवं उन कृषको से रूबरू चर्चा की गई एवं समझाईस दी गई कि जिन लोगो की जमिने अधिग्रहीत किया जाएगा उन्हे शासन की योजनानुसार ~~मुआ~~ मुआवजे की पात्रता रहेगी एवं नियमानुसार उनकी शर्ते भी मंजुर की जावेगी।
जीन कृषको की जमीन का अधिग्रहण होना है उनके परिवार के सदस्यों मे से नियमानुसार नौकरी भी दी जाएगी।
भूमि अधिग्रहण हेतु निम्न कृषको की भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. नाम	खसरा	रकबा
① निरेन व. तारापद	159 159/1	0.503

ति स्थान - आनंद प्रिंटर्स, थाना रोड, कोठी बाजार, बैतुल मो. 9981273571)
ति स्थान - जय भवानी प्रिंटर्स एण्ड फोटो कॉपी, सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, आठनेर मो. 9691842180)

बैठक कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

लय ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ विकास खंड घोड़ाडोंगरी तह. घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल

उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
2	3	4	5	6	7
			नाम खसरा रकबा		उमेशं
			(2) बिरेन व. नरायण 159, 159/2 0.504		बिश्वजीत रंजन
			(3) विधान व. नरायण 159 159/3 0.504		रबिन मंडल
			(4) विपूल व. नरायण 159 159/4 0.504		सपन
			(5) राजेन्द्र सरदार व. प्राण (पलामित) कालिज सरोजनि हरिश्चंद्र 160 0.110		प्रधान किशोर सुनील
			(6) मंदारी बेवा सुधीर, रतन फकीर, भोला, उमेश व. सुधीर 13 2.015		तपन

भगवती प्रभावती
पिता सुधीर।
सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा मे उपस्थित सभी सदस्यों के जिनका भूमि अधिग्रहण होना है उनका कहना है कि 8.00 लाख रू. प्रति एकड़ एवं प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दिया जाए!
एव ग्रामवासीयों का कहना है हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी यदि दिया जाता है तो ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यदि फसल खराब माईनिंग के चलते होते है तो उनका भी मुआवजा दिया जाए।

[signature]
[signature]
रतन सरकार
[signature]
GOUTAM
प्रसांत
[signature]
कार्तिक
[signature]
हर्षित
केशव
[signature]

प्राप्ति स्थान - आनंद प्रिंटर्स, थाना रोड, कोठी बाजार, बैतुल मो. 9981273571)
प्राप्ति स्थान - जय भवानी प्रिंटर्स एण्ड फोटो कॉपी, सुपर मार्केट, बस स्टेण्ड, आठनेर मो. 9691842180)

...क कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

...किलगढ़ विकास खंड घोड़ाडोंगरी तह. घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल

प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
4	5	6	7
	के बाद ग्राम-सभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वन विभाग द्वारा यदि प्रस्ताव नहीं दिया जाता है तो ग्राम-सभा द्वारा भी प्रस्ताव नहीं प्रदान किया जाएगा।		
	13/3/2015 General Manager Patheldhaulbai APO सचिव ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ (हरिकिशन ...) 13/3	PCO	
	13/3/15 13/3/15 B.P.O. 13/3/15 13/3/15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी		